रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/95.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 2 अगस्त, 1995/11 श्रावण, 1917

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
विधायी (अंग्रेजी) अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 अगस्त, 1995

संख्या एल०एल०आर०डी० (6) 9/95-लेजिसलेशन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 29 जुलाई, 1995 को

2358-राजपत्र/95-2-8-95—1,281. (3221) मूल्य : 1 रुपया।

प्रख्यापित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (1995 का अध्यादेश संख्यांक 2) को, संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके प्राधिकृत पाठ सहित, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

1995 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2.

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1995

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश ।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :--

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1995 है ।

धारा 17क और 17ख का अन्तः स्थापन ।

2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 के पश्चात निम्नलिखित धाराएं 17-क और 17-ख अन्तःस्थापित की जाएंगी :— 1994 का

"17-क. **निर्वाचन व्ययों का लेखा और उनकी अधिकतम मात्रा.**--(1) निर्वाचन में हर अभ्यर्थी निर्वाचन सम्बन्धी उस सब व्यय का जो, उस तारीख के, जिसको यह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा, की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया है, पृथक और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा ।

(2) लेखे में ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से विहित की जाएं ।

(3) उक्त व्यय का जोड़ उस रकम से अधिक न होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

17-ख. **लेखे का दाखिल किया जाना.**--(1) निर्वाचन में/का हर निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से या यदि निर्वाचन में एक से अधिक निर्वाचन अभ्यर्थी हैं, और उनके निर्वाचन की तारीखें भिन्न हैं तो उन तारीखों में से पश्चातवर्ती तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 17-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा नियुक्त अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

धारा 301 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 301 में उप-धारा (6) के पश्चात निम्नलिखित उप-धारा (6-क) जोड़ी जाएगी अर्थात्:—

"(6-क) धारा 17-क के उल्लंघन में व्यय उपगत या प्राधिकृत करना"।

सुधाकर राव नाईक;
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।

शिमला :
29 जुलाई, 1995.

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि)।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H.P. Ordinance No. 2 of 1995.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) ORDINANCE, 1995

AN

ORDINANCE

to amend the Himachal Pradesh Muncipal Act, 1994

(*Act No.* 13 *of* 1994).

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Forty-sixth Year of the Republic of India.

Whereas the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title.

1. This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 1995.

Insertion of sections 17A and 17B.

13 of 1994

2. After section 17 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (hereinafter called the principal Act), the follwoing sections 17-A and 17-B shall be inserted, namely :—

"**17-A.** *Account of election expenses and maximum thereof.*—(1) Every candidate at an election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorised by him or by his election agent, between the date on which he has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive.

(2) The account shall contain such particulars, as may be prescribed by the State Government in consultation with the State Election Commission.

(3) The total of the said expenditure shall not exceed such amount as may be prescribed by the State Government in consultation with the State Election Commission.

17-B *Lodging of account.*—Every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate or, if there are more than one returned candidates at the election and the dates of their election are different the later of those two dates, lodge with the officer, as may be

appointed by the State Election Commission, an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under section 17A.

Amendment of section 301.

3. In section 301 of the principal Act, after sub-section (6), the following sub-section (6-A) shall be added, namely :—

"(6-A) The incurring or authorising of expenditure in contravention of section 17 A.".

SUDHAKAR RAO NAIK,
Governor,
Himachal Pradesh.

SHIMLA :

29th July, 1995

K. C. SOOD,
Secretary (Law).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171005 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।